केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

केमाशिबो/सम./112233/2016

24 जनवरी, 2017

परिपत्र

मानक प्रचालन प्रक्रिया तथा केमाशिबो द्वारा संचालित कक्षा X तथा XII परीक्षाओं के लिए विशिष्ट रूप से सक्षम उम्मीदवारों को दी जा रही छूट/रियायतों के संबंध में परिशोधित अनुदेश ।

बोर्ड द्वारा संस्तंभी, दृष्टिबाधित, शारीरिक रूप से विकलांग, डिसलेक्सिक, ऑटिस्टिक तथा निशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 में परिभाषित विकलांगता वाले उम्मीदवारों को अनेक छूट/रियायतें दी जा रही हैं, जिन्हें विद्यालयों को परिचालित किया जाता है व समय-समय पर बोर्ड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाता है।

दिनांक 28 दिसंबर 2016 को निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 की अधिसूचना के उपरांत उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध 21 निर्दिष्ट निशक्तताओं वाले उम्मीदवारों को सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है।

ऐसे सभी परिशोधित अनुदेश/छुट/रियायतों का ब्यौरा सभी पणधारियों की सुविधा के लिए समेकित रूप में परिशिष्ट - I में संलग्न हैं। केमाशिबो के क्षेत्रीय कार्यालयों व विद्यालयों के लिए भी मानक प्रचालन प्रक्रिया परिशिष्ट - II में निर्धारित की गई है। छूट का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थियों/प्रतिपाल्यों हेतु आवेदन प्रारूप भी परिशिष्ट III में संलग्न है।

किशोर
(के.के. चौधरी)
परीक्षा नियंत्रक

"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली -110092
"Shiksha Kendra" 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi - 110092
फोन / Telephone: +91-11-22509256, +91-11-22509257 वेबसाइट / Website : www.cbse.nic.in

परिशिष्ट-I

भिन्न रूप से सक्षम उम्मीदवारों के लिए माध्यमिक (कक्षा X) तथा वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र (कक्षा XII) परीक्षाओं के दौरान बोर्ड द्वारा दिए गए अनुदेश/छूट/रियायतें

क. सामान्य अनुदेश/रियायतें (कक्षा X व XII के लिए लागू)

क्रमांक	विषय	अनुदेश/रियायतें
1.	चिकित्सा प्रमाण पत्र	भिन्न रूप से सक्षम उम्मीदवारों को रियायते देने के लिए निम्न एजेंसियों/संगठनों द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्रों पर विचार किया जाएगा: i) केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित सरकारी अस्पतालों द्वारा जारी नि:शक्तता प्रमाण पत्र ; ii) नेशनल एसोसियशन फॉर द ब्लाइंड, स्पैस्टिक सोसायटी ऑफ इंडिया इत्यादि जैसे राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा जारी नि:शक्तता प्रमाण पत्र; तथा iii) संबंधित राज्य की राज्य सरकार/केंद्र सरकार/भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों/ अभ्यासकर्ताओं द्वारा जारी नि:शक्तता प्रमाण पत्र
2.	प्रलिपिक तथा प्रतिकर समय	i) संस्तंभी, दृष्टिबाधित, शारीरिक रूप से विकलांग; डिसलेक्सिक, ऑटिस्टिक तथा नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 में पारिभाषित उम्मीदवारों को प्रलिपिक या प्रतिकर समय या दोनो निम्नलिखित के अनुसार दिया जाएगा: 3 घंटे की अवधि के पेपर के लिए 60 मिनट 2½ घंटे की अवधि के पेपर के लिए 50 मिनट 2 घंटे की अवधि के पेपर के लिए 40 मिनट 1½ घंटे की अवधि के पेपर के लिए 30 मिनट ii) ऑटिस्टिक उम्मीदवारों को एक प्रलिपिक या एक व्यस्क प्रोम्पटर की सेवाओं के प्रयोग की अनुमति है।
3.	प्रलिपिक की नियुक्ति व संबंधित अनुदेश	i) प्रलिपिक के तौर पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति ने उसी विषय/विषयों में अर्हता प्राप्त न की हो जिसमें उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित होगा।

		ii) उम्मीदवार को अपने प्रलिपिक को चुनने का विवेकाधिकार होगा तथा आपातकालीन मामले में प्रलिपिक बदलने के लिए नरमी बरती जाएगी। iii) उम्मीदवार के पास परीक्षा से एक दिन पहले प्रलिपिक से मिलने का विकल्प होगा। iV) संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक द्वारा बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को उम्मीदवार व प्रलिपिक का पूर्ण विवरण देते हुए एक रिपोर्ट भेजी जाएगी। V) प्रलिपिक दिए जाने वाले उम्मीदवार के लिए उपयुक्त कक्ष का प्रबंध किया जाएगा तथा उसका/उसकी परीक्षा के पर्यवेक्षण के लिए अलग से सहायक अधीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। Vi) प्रलिपिक की सेवांए नि:शुल्क दी जाएंगी। Viii) बोर्ड द्वारा प्रलिपिक को समय-समय पर निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।
4.	अन्य सामान्य अनुदेश/ सुविधाएं	i) सरल अभिगम्यता की सुविधा हेतु, विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए कुछ चुनिंदा वियालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। ii) विशेष परीक्षा कैंद्रो पर दृष्टिबाधित के लिए वियालयों से अध्यापकों को सहायक अधीक्षक/अधीक्षकों (अन्वीक्षकों) के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। तथापि, भिन्न-भिन्न दिनों में भिन्न-भिन्न अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सावधानी बरती जाती है। iii) केंद्र अधीक्षकों द्वारा भिन्न रूप से सक्षम उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाएं अलग से भेजी जाती है। iV) उत्तर-पुस्तिका के शीर्षक पृष्ठ पर भिन्न रूप से सक्षम उम्मीदवारों की श्रेणी को इंगित करने के लिए एक अलग स्तंभ उपलब्ध कराया जाता है। V) बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से दृष्टि बाधित उम्मीदवारों को स्क्रीन रीडिंग साफ्टवेयर (जैसे जेएडब्ल्यूएस - जॉब एक्सेस विद स्पीच) के प्रयोग की अनुमति है। उन्हें उत्तर लिखने के लिए एक कंप्यूटर या एक टाईपराईटर के प्रयोग की सुविधा भी है। Vi) बोर्ड द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा में परिकलक की अनुमति नहीं है।
5.	सीजीपीए गणना	निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 में परिभाषित नि:शक्तता वाले उम्मीदवारों के संबंध में सीजीपीए की गणना केवल 05 विषयों में से होगी, भले ही अनिवार्य समूह में एनएसक्यूएफ विषय दिया जा रहा हो।
6.	शुल्क	दृष्टिबाधित उम्मीदवारों से पंजीकरण व परीक्षा शुल्क (IX,X,XI,XII) नहीं लिया जाएगा।

ख. विशिष्ट छूट/रियायतें

I. कक्षा X

क्र. सं.	विषय	छूट/रियायतें
1.	तृतीय भाषा में छूट	कक्षा VI से VIII तक तृतीय भाषा में परीक्षा से निम्न को छूट होगी- • दृष्टिबाधित उम्मीदवार • वाक्/श्रवण दोष से पीडित • डिस्लेक्सिक उम्मीदवार • नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 में परिभाषित नि:शक्तताओं वाले उम्मीदवार
2.	विषय के चुनाव में लचीलापन	i) "ऑटिस्टिक, डिसलेक्सिक, स्पैस्टिक, दृष्टि व श्रवण बाधित उम्मीदवारों व निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 में परिभाषित नि:शक्ताओं वाले उम्मीदवारों के पास 02 के बजाय 01 अनिवार्य भाषा का अध्ययन करने का विकल्प है। यह भाषा बोर्ड द्वारा निर्धारित त्रिभाषा सूत्र की समग्र भावना के अनुरूप होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, निम्न चार विषयों में से कोई एक भाषा दी जाए।" गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, दूसरी भाषा, संगीत, चित्रकला, गृह विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी का आधार, वाणिज्य (व्यापार के तत्व), वाणिज्य, (बही खाता व लेखाशास्त्र के तत्व), **ई-पब्लिशिंग एवं ई-ऑफिस (अंग्रेजी), ई-पब्लिशिंग एवं ई-कार्यालय (हिंदी), सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी-166), खुदरा (एनएसक्यूएफ) तथा सूचना प्रौद्योगिकी (एनएसक्यूएफ) में से कोई एक** ii) परीक्षा संबंधी उप-विधि के प्रावधानों के अनुसार प्राईवेट उम्मीदवार के रूप में बैठने वाले दिल्ली के वास्तविक निवासी, माध्यमिक स्तर पर प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) घटक वाले विषय नही ले सकते हैं। तथापि, परीक्षा संबंधी उप-विधि में परिभाषित नि:शक्ततओं वाले विद्यार्थियों के पास संगीत, चित्रकला, गृह विज्ञान को अध्ययन के विषय के तौर पर लेने का विकल्प है। iii) फिजियो-थेरेपिक व्यायाम बोर्ड के शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा कोर्स के समतुल्य माने जाते हैं।
3.	वैकल्पिक प्रश्न/अलग प्रश्न पत्र	i) सामाजिक विज्ञान तथा इंगलिश कॉमन्युकेटिव के विषयों में दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए दृश्य निर्विष्टियों वाले प्रश्नों के स्थान पर वैकल्पिक प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं। ii) गणित तथा विज्ञान के विषयों में बड़े मुद्रण में अलग प्रश्न पत्र दिए जाएंगे।

II. कक्षा XII

क्र. सं.	विषय	छूट/रियायतें
1.	विषय चुनने में लचीलापन	परीक्षा संबंधी उप-विधि के प्रावधानों के अनुसार प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में बैठने वाले दिल्ली के वास्तविक निवासी प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) घटक वाले विषय नहीं ले सकते हैं। तथापि परीक्षा उप-विधि में परिभाषित नि:शक्तताओं वाले विद्यार्थियों के पास संगीत, चित्रकला, गृह विज्ञान को अध्ययन के विषय के तौर पर लेने पर विकल्प है।
	प्रैक्टिकल घटक के स्थान पर अलग प्रश्न पत्र व प्रश्न	दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को- i) भौतिकी, रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान के विषयों में प्रैक्टिकल के स्थान पर प्रैक्टिकल घटक के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले अलग प्रश्न पत्र दिए जाते हैं। ii) भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित तथा जीव विज्ञान के विषयों में संचालित प्रश्न पत्र दृश्य निविष्टियों से रहित हैं। iii) इतिहास, भूगोल तथा अर्थशास्त्र के विषयों में दृश्य निविष्टियों वाले प्रश्नों के स्थान पर वैकल्पिक प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं।

बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जो छूट/रियायतों का लाभ उठाना चाहते हैं, विशेषतया कक्षा 9वीं व 11वीं में होने पर, अपने संस्थान प्रमुख के माध्यम से केमाशिबो के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें। निवेदन विद्यालय/संस्थान के प्रमुख से सिफारिश तथा संगत चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होने चाहिए। छूट/रियायतों के लिए केवल ऐसे उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा जिनके संबंध में कक्षा IX तथा/या XI में पंजीकरण के दौरान संगत श्रेणी प्रविष्ट की गई हो।

ग. नि:शक्तता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा के दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यालयों को सलाह :

क. यह सुनिश्चित करना कि मुख्य धारा में विशिष्ट आवश्यकताओं वाले किसी भी बच्चों को प्रवेश हेतु मना नहीं किया जाता है।

ख. विद्यालय में नि:शक्त बच्चों के नामांकन की निगरानी करना।

ग. प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धता तथा सहायक उपकरणों के माध्यम से विद्यालयों द्वारा समर्थन उपलब्ध कराना।

घ. विद्यमान भौतिक अवसंरचना व शिक्षण विधियों में विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों सहित सभी बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आशोधन करना।

ङ. यह सुनिश्चित करना कि उन्हें 2020 तक नि:शक्त अनुकूल बनाया जाए तथा छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों व भवनों में नि:शक्त के लिए अवरोध रहित पहुंच हो।

च. विकलांग छात्र के लिए अध्ययन सामग्री व संवाद-समर्थित पाठ्य पुस्तकें, वाचन मशीनें व वाक सोफ्टवेयर सहित कंप्यूटर की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

छ. श्रवण बाधाग्रस्त विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में संकेत भाषा भाषांतरकार, अनुलेखन सेवाएं तथा एक लूप इंडक्सन प्रणाली सुनिश्चित करना।

ज. विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा के लिए अपेक्षित शिक्षा-कक्ष व्यवस्था का पुनरावलोकन।

झ. प्रारंभिक व माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा में अध्यापकों का नियमित सेवाकालिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।

केमाशिबो के 10 क्षेत्रीय कार्यालय है जो विभिन्न राज्यों के मामले संभालते हैं। केमाशिबो की वेबसाइट पर क्षेत्रीय कार्यालयों की संपर्क सूचना, अधिक्षेत्र तथा पता उपलब्ध है। केमाशिबो की हेल्पलाइन 1800-11-8002 भी है जो सभी कार्यदिवसों में 9 बजे (पूर्वाह्न) से 7 बजे (अपराह्न) तक क्रियाशील है।

परीक्षा नियंत्रक

छूट प्राप्त करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया

चरण 1 - माता-पिता केमाशिबो द्वारा जारी परिशोधित समेकित अनुदेशों (परिशिष्ट 1 में संलग्न) का अवलोकन करें।

चरण 2 - माता-पिता प्राधिकृत एजेंसियों/संगठनों से बच्चे की जांच कराएं तथा नि:शक्तता का अपेक्षित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

चरण 3 - कोई छूट प्राप्त करने के लिए माता-पिता विकलांगता प्रमाणपत्र की प्रति सहित विद्यालय में निवेदन करें। विद्यालय द्वारा पावती दी जाएगी। (परिशिष्ट - III में प्रारूप संलग्न है)

चरण 4 - विद्यालय आवेदन प्राप्ति के 07 दिन के भीतर उसे बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित करेगा। विद्यालय द्वारा अस्वीकार करने के मामले में, इसे ऐसे अस्वीकरण के कारणों सहित बोर्ड को भेजा जाना चहिए।

चरण 5 - क्षेत्रीय कार्यालय 15 दिन के भीतर छूट के अनुमोदन की सूचना के लिए पत्र जारी करेगा जिसकी एक प्रति माता-पिता को दी जाएगी। अस्वीकृति के मामले में, इसके कारण पत्र में दिए जाएंगे। यदि क्षेत्रीय कार्यालय को किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता होगी, तो इसे विद्यालय से तत्काल मंगवाया जाना चाहिए।

परिशिष्ट- III

सेवा में,

प्रधानाचार्य

(विद्यालय का नाम व पता लिखें)

...

...

...

<u>विषय: निशक्त व्यक्ति अधिकार, अधिनियम 2016 के तहत भिन्न रूप से सक्षम/निःशक्त विद्यार्थियों को दी गई छूट प्राप्त करना।</u>

महोदय/महोदया,

मेरा/मेरी प्रतिपाल्य आपके विद्यालय का विद्यार्थी है जिसका परिचय/प्रत्यय-पत्र निम्नलिखित है:-

1. नाम :
2. प्रवेश संख्या :
3. कक्षा : अनुभाग:
4. निःशक्तता की प्रकृति :

कृपया मेरे/मेरी प्रतिपाल्य की निम्न छूट प्रदान करें:-

क.

ख.

ग.

दिनांक :

(माता-पिता के हस्ताक्षर)

नाम ....

ई-मेल आईडी..

संपर्क संख्या ....

पता...

....

संलग्न :

(i) चिकित्सा प्रमाण पत्र

(ii) प्रलिपिक का अर्हता प्रमाण (यदि वांछित हो)